निगरानी / एलआर / 1021 / 2006/ जिला दौसा
हरेत वगैरह बनाम गिर्राज व अन्य

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की जारी में जारी हुए
	<u>एकल–पीठ</u> **श्री मनोज कुमार नाग, सदस्य** **<u>उपस्थित :</u>** श्री भंवरलाल वर्मा, अभिभाषक प्रार्थी । श्री हेमंत सोगानी, अभिभाषक अप्रार्थीगण **<u>आदेश</u>** हस्तगत् निगरानी याचिका राजस्थान भू राजस्व अधिनियम,1956 की धारा–84 न्यायालय अति0 संभागीय आयुक्त जयपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 20–12–05 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। निगरानी प्रार्थना पत्र अनुसार प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार से है कि अप्रार्थी गिर्राज द्वारा नामांतरकरण संख्या 63 के सबंध में नायब तहसीलदार सीकराय द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध अपील न्यायालय अतिरिक्त जिला कलैक्टर दौसा के यहां प्रस्तुत की। जिसे अति0 जिला कलेक्टर दौसा ने अपने निर्णय दिनांक 7–8–04 आंशिक स्वीकार करते हुये प्रकरण नायब तहसीलदार सीकराय को कतिपय निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित कर दिया। जिसकी द्वितीय अपील प्रार्थीगण द्वारा न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर के यहां प्रस्तुत की गई। उक्त द्वितीय अपील अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर ने अपने निर्णय दिनांक 20–12–05 द्वारा खारिज कर दी। जिससे व्यथित होकर यह निगरानी मंडल में पेश की गई है। विद्वान अभिभाषक प्रार्थी ने निगरानी ज्ञापन में उल्लेखित तथ्यों को दोहराते हुये बहस में कहा कि विवादित आराजी 11 बीघा 2 बिस्वा जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 23–10–2973 को प्रार्थीगण के नाम विक्रय हो चुकी थी तथा क्रय दिनांक से उसका कब्जा है। पटवारी द्वारा गलत रिपोर्ट की गई कि खरीद्दार का कब्जा नहीं है। नायब तहसीलदार सिकराय द्वारा पारित आदेश दिनांक 5–6–02 समुचित सुनवाई के बाद पारित किया गया है। प्रार्थीगण रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की जारी में जारी हुए
	आधार पर भूमि के खातेदार काश्तकार है तथा किसी रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर क्रेता को विक्रेता के समान अधिकार प्राप्त हो जाते है और रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर राजस्व रिकोर्ड में अंकन आवश्यक है। नामांतरकरण संख्या 63 पहले स्वीकार किया गया था जिसमें बाद में अ शब्द जोड दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय ने विक्रेता को अनपढ मानते हुये निर्णय दिया है, जो गलत है। अनपढ होने से प्रकरण के गुणावगुण पर कोई प्रभाव नहीं पडता। किंतु उक्त समस्त बिन्दुओं को दोनों अपीलीय न्यायालयो ने नजरअदांज करते हुये गैर कानूनी रूप से तथा विधिक प्रावधानों को समझे बिना ही आलोच्य आदेश पारित किया है। अतः दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय विधि विरूद्ध होने से खारिज किये जाकर निगरानी स्वीकार की जावे। विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी ने उपरोक्त तथ्यों का विरोध करते हुये कहा कि विक्रय पत्र बनावटी एवं फर्जी है, जिसे निरस्त कराने हेतु सिविल न्यायालय में वाद प्रस्तुत किया हुआ है, जिसमें यथास्थिति के आदेश दिये गये है। विक्रय पत्र की आज तक क्रियान्विति नहीं हुई है। विक्रय पत्र धोखे से बनाया गया है। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के समवर्ती निर्णयों में क्षेत्राधिकार सम्बन्धी अथवा विधिक या तथ्यपरक ऐसी कोई त्रुटि नहीं है जिसके आधार पर निगरानी के माध्यम से उसमें हस्तक्षेप किया जा सके। अतः निगरानी चलने योग्य नहीं है। उभय पक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली के साथ संलग्न अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णयों का आद्योपांत अवलोकन व अध्ययन किया । प्रार्थीगण के पक्ष में एक विक्रय पत्र रिकोर्ड पर है जिसके सबंध में विवाद चल रहा है। यह विक्रय पत्र लगभग 54 वर्ष पुराना है और इस 45 वर्ष पुराने विक्रय पत्र के आधार पर नामांतरकरण दर्ज करने से पहले विक्रेता को सुना जाना दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने उचित माना है। प्रश्नगत	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की जारी में जारी हुए
	विक्रय पत्र 45 वर्ष पुराना है और उसकी क्रियान्विति में क्रेता को कब्जा मिला या नहीं मिला इस सबंध में भी विवाद है। नायब तहसीलदार सीकराय द्वारा उपखंड अधिकारी के पूर्व आदेश की पालना में विक्रेता को सुना नहीं गया है। ऐसी स्थिति में अतिरिक्त जिला कलेक्टर दौसा द्वारा नायब तहसीलदार सीकराय के आदेश को निरस्त करते हुये प्रकरण पुनः जांच हेतु तहसीलदार सिकराय को कतिपय निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया गया है। जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं होने से न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त द्वारा भी दिनांक 20–12–05 के निर्णय से समर्थन देते हुये अतिरिक्त जिला कलेक्टर के निर्णय को यथावत रखा है, जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। इसके अतिरिक्त प्रतिप्रेषित निर्णय से किसी पक्ष को हानि होना भी प्रतीत नहीं होता, क्योंकि प्रतिप्रेषित आदेश में पुनः जांच करते हुये नये सिरे से नियमानुसार विधिसम्मत् निर्णय पारित करने हेतु नायब तहसीलदार सिकराय को निर्देशित किया गया है। दोनो अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय समवर्ती है, जिसमें किसी प्रकार की त्रुटि नही होने से हस्तगत् निगरानी खारिज योग्य है। परिणामतः हस्तगत् निगरानी खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख लौटाया जावे। आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया । (मनोज कुमार नाग) सदस्य	

निगरानी / एलआर / 1021 / 2006/ जिला दौसा
हरेत वगैरह बनाम गिर्राज व अन्य

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की जारी में जारी हुए